दिनांक 07.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 12/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोरखपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 07.01.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर इकाई** द्वारा सतीश मणि निवासी ग्राम परसौनी बुजुर्ग थाना कसया जनपद कुशीनगर से तीन हैण्ड पम्पों के रीबोर व मरम्मत में हुए खर्चो का भुगतान करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री शिवमनोहर यादव के नेतृत्व में पंचायत भवन पकडीवीर भद्र विकास खण्ड देसही देवरिया से **ग्राम विकास अधिकारी जय नारायण सिंह (तैनाती पकडीवीरभद्र विकास खण्ड देसही जनपद देवरिया)** पुत्र स्व0 राम प्रसाद सिंह निवासी इन्दिरा नगर कॉलोनी, चम्पा देवी पार्क के पीछे तारामण्डल थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को **24 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 07.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 13/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06/07.01.2026 की रात्रि थाना खुर्जा नगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आसफपुर बम्बे पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त कासिम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, रंगदारी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कासिम निवासी ग्राम जहांगीरपुर थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना मदन मोहन गेट

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 96 लाख 95 हजार 500 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनॉकः 06/07.01.2026 की रात्रि थाना मदन मोहन गेट, थाना नाई की मण्डी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–आकाश 2–नीरज 3–अशोक को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 96 लाख 95 हजार 500 रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मदन मोहन गेट क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मदन मोहन गेट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मदन मोहन गेट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी गयासपुर थाना शाहगंज, आगरा।

2–नीरज निवासी गयासपुर थाना शाहगंज, आगरा।

3–अशोक निवासी गयासपुर थाना शाहगंज, आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 96 लाख 95 हजार 500 रूपये नगद आदि।

जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 21 लाख 18 हजार 660 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 06.01.2026 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1– दयाशंकर 2– राममिलन को

गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 21 लाख 18 हजार 660 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04/05.01.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दयाशंकर निवासी ग्राम इटवा थाना लवकुशनगर जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

2—राममिलन निवासी चन्द्रपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

बरामदगी

1—चोरी के 21 लाख 18 हजार 660 रूपये नगद।

- **जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सफदरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मो0उस्मान को आजीवन कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20/03 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—सागर उर्फ सिद्धार्थ को धारा 363/368/376(2)(1) भादवि व 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 46 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—लोकेश को धारा 368 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास व 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बब्लू 2–पंकज 3–अजय उर्फ सोनू को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 07.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 14/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 07.01.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई** द्वारा पंकज निवासी ग्राम केसरपुर तहसील आवला जनपद बरेली से कृषिभूमि की पैमाइश के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में नलकूप नं0-2 पानी की टंकी नगर पंचायत सिरौली जनपद बरेली से 1-**राजस्व निरीक्षक वीरेन्द्र पाल सिंह (सम्प्रति क्षेत्र सिरौली तहसील आवला बरेली)** पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम सीरलापुर तहसील व थाना मीरगंज जनपद बरेली 2-**सर्वेश कुमार** (प्राइवेट व्यक्ति) पुत्र प्रेम शंकर निवासी वनईया मीरगंज थाना मीरगंज जनपद बरेली को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 07.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 15/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया अखण्ड प्रताप सिंह को मा7000 वर्ष का कारावास एवं 03 न्यायालय की अवहेलना के अपराध में 0/- रुपये का अर्थदण्ड की सजा

- **"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।**
- **वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा।**

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध **जीरो टॉलरेंस नीति** के तहत **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा प्रदेश में चिन्हित अपराधियों एवं माफिया के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.01.2026 को जनपद आज़मगढ़ न्यायालय द्वारा **चिन्हित माफिया अखण्ड प्रताप सिंह** को मान्यायालय की 0 7000 वर्ष का कारावास एवं 03 अवहेलना के अपराध में/- रुपये का अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

➡दिनांक -19.09.2019 को वादी मुकदमा उ0नि 0नवल किशोर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व 0साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन न करना तथा मा0न्यायालय द्वारा 82 जा0फौ 0का आदेश निर्गत होने के बाद भी मा 0न्यायालय में हाजिर न होने के प्रकरण में माफिया अखण्ड प्रातप सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना तरवां पर मु0सं0अ0- 113/ धारा 2019 174A, 229A भादविन्यायालय में दाखिल किया गया। उक्त 0पंजिकृत किया गया तथा आरोप पत्र मा 0 गवाह परिक्षित हुए 11 मुकदमें कुलजिसके क्रम में दिनांक -07.01.2026 को मा 0न्यायालय आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व 0साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व7 ,000/- रु 0के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡अखण्ड प्रताप सिंह उपरोक्त प्रदेश स्तर का चिन्हित माफिया है जिसका गैंग नं0- D-11 है तथा जनपद आजमगढ़ के थाना तरवां का हिस्ट्रीशीटर है। जिसका हिस्ट्रीशीट नं0- 2A है। इसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के अलावा जनपद मऊ ,जनपद लखनऊ में गैंगेस्टर ,जनपद जौनपुर ,जनपद गाजीपुर , 38 गुण्डा एक्ट आदि जैसे जघन्य अपराध के कुल ,आर्म्स एक्ट ,एससी एसटी एक्ट ,डकैती ,हत्या ,लूट मुकदमें पंजीकृत है। अखण्ड प्रताप सिंह उपरोक्त वर्तमान में जिला कारागार बरेली में निरुद्ध है।

अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व 0साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ का अपराधिक इतिहास0गैंग नं -- D-11, HS No.- 2A

अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र साहब सिंह सा0 जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ एच0एस0–02ए, डी–11 गैंग का सदस्य

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद	दिनांक सूचना	परिणाम (CS/FR) दिनांक सहित
1	06/1996	307/504 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट	तरवां	आजमगढ़	08.01.1996	आरोप पत्र ए- 3 24/1/1996
2	270/13	396 भा0द0वि0	तरवां	आजमगढ़	11.05.13	आरोप पत्र ए-58 / 5/8/2013
3	374/13	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	तरवां	आजमगढ़	29.12.2013	आरोप पत्र
4	302/2004	302/307/404 भा0द0वि0	मेंहनगर	आजमगढ़	10.09.2004	ए-66, 09.05.2005
5	48/96	147/148/149/325/323भा0द0वि0 व 3(2) 5 SC ST ACT	तरवां	आजमगढ़	7/3/1196	आ0प0 ए- 11 28/3/1196
6	263/98	147/148/149/302/34/353 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC/ST ACT व 7 CLA ACT व 120B IPC	तरवां	आजमगढ़	25/11/1998	आ0प0 ए-1 9/1/1999
7	158/2002	392/411 भा0द0वि0	तरवां	आजमगढ़	08.09.2002	आरोप पत्र ए-1ए /27/3/2003
8	122/03	307 भा0द0वि0 व 7CLA ACT व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट	तरवां	आजमगढ़	02.04.2003	आरोप पत्र /06/12/2003
9	123/03	25 आर्म्स एक्ट	तरवां	आजमगढ़	02.04.2003	आरोप पत्र 31.5.2003
10	126/96	392 /411 भा0द0वि0	तरवां	आजमगढ़	29/7/1996	आरोप पत्र ए- 57 .27/11/1996
11	163/96	3/25 आर्म्स एक्ट	तरवां	आजमगढ़	24.10.1996	आरोप पत्र ए-63 22.12.1996
12	206/05	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	तरवां	आजमगढ़	10.08.2005	आरोप पत्र ए- 55 19/10/2006
13	27/14	174(A) IPC	तरवां	आजमगढ़	01.03.2014	आरोप पत्र ए-10 16/1/20015
14	80/99	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	तरवां	आजमगढ़	03.06.99	आरोप पत्र- ए-32 3/6/2000
15	10/2019	506 भा0द0वि0	तरवां	आजमगढ़	11.02.2019	आरोप पत्र ए-13 / 25/12/2019
16	153/19	174(A) IPC	तरवां	आजमगढ़	03.12.2019	आरोप पत्र ए-3/ 7/01/2020
17	113/19	174(A) /229 A IPC	तरवां	आजमगढ़	19.09.2019	आरोप पत्र- ए-131/ 25/12/2019
18	28/2004	3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0	तरवां	आजमगढ़	02.02.2004	चा0रि0- 02.02.2004
19	287/2004	3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0	तरवां	आजमगढ़	15.07.2004	चा0रि0 8/8/2004
20	295/97	110G CRPC	तरवां	आजमगढ़	20.10.1997	चा0रि0 20/10/1997
21	60/2001	110G CRPC	तरवां	आजमगढ़	27/4/2001	चा0रि0 27/4/2001
22	70/97	3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0	तरवां	आजमगढ़	11/4/1197	चा0रि0 11/4/1997
23	210/2009	110G CRPC	तरवां	आजमगढ़	02.04.2009	चा0रि0 2/4/2009
24	124/2004	110G CRPC	तरवां	आजमगढ़	06.04.2004	चा0रि0 6/4/2004
25	90/2003	110G CRPC	तरवां	आजमगढ़	26/2/2003	चा0 रि0- 26/2/2003
26	94/2005	110G CRPC	तरवां	आजमगढ़	08.03.2005	चा0रि0 8/3/2005
27	**NIL/96**	**41/411 भा0द0वि0**	**मोहम्दाबाद**	**मऊ**		

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद	दिनांक सूचना	परिणाम (CS/FR) दिनांक सहित
28	**357/96**	**392/411 भा0द0वि0**	**मोहम्दाबाद**	**मऊ**		
29	**430/97**	**3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट**	**मोहम्दाबाद**	**मऊ**		
30	**308/97**	**394/302 भा0द0वि0**	**मोहम्दाबाद**	**मऊ**		
31	**288/97**	**3/25 आर्म्स एक्ट**	**मोहम्दाबाद**	**मऊ**		
32	**745/98**	**307/302 /34 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT**	**कोतवाली**	**मऊ**		
33	**52/99**	**302/120B IPC**	**बहरियाबाद**	**गाजीपुर**		
34	**210/002**	**302/120B IPC**	**बहरियाबाद**	**गाजीपुर**		
35	**352/2002**	**25 आर्म्स एक्ट**	**दुल्लहपुर**	**गाजीपुर**		
36	**397/005**	**302/404 भा0द0वि0**	**बहरियाबाद**	**गाजीपुर**		
37	402/2003	147/148/149/307/302 भा0द0वि0	गौराबादशाहपुर	जौनपुर		
38	15/21	302/307/120 बी /34 भा0द0वि0	विभूतिखण्ड	लखनऊ	07.01.2021	आरोप पत्र–05.04.2021

दिनांक 07.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 16/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मिशन शक्ति: नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन का संकल्प

जनपद कानपुर देहात में 05 नये मिशन शक्ति केन्द्रों के नवीनीकृत भवनों का उद्घाटन किया गया एवं जनपद के सभी 17 थानों को ईको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की गयीं।

मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत व्यापक जागरूकता एवं अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** द्वारा प्रदेश भर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत व्यापक जागरूकता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, हेल्प लाइन सेवाओं के प्रचार-प्रसार, बच्चियों/बालिकाओं के विरूद्ध अपराधों में संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी आदि के सम्बन्ध में व्यापक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

निर्देशों के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात में महिला अपराधों की रोकथाम, पीड़िताओं की सहायता तथा नारी सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर "मिशन शक्ति केन्द्र" स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में **आज दिनांक 07.01.2026 को मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर जनपद के 05 थाना अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, शिवली एवं डेरापुर में मिशन शक्ति केन्द्रों के नवीनीकृत भवनों का औपचारिक उद्घाटन एवं शुभारंभ किया गया एवं जनपद के सभी 17 थानों को ईको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की गयी।**

मिशन शक्ति केन्द्रों का उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली:

- ये केन्द्र महिला/बालिका पीड़िताओं की शिकायतों के त्वरित पंजीकरण (Zero FIR सहित), संवेदनशील रिकॉर्डिंग तथा तीव्र कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- पीड़िताओं को तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण, कानूनी सलाह तथा मनोसामाजिक परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक केन्द्र पर एक महिला अधिकारी (नोडल ऑफिसर) जिम्मेदार होगी, जो शिकायत की प्रगति पर नजर रखेगी।
- 24*7 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध रहेगी।
- इन केन्द्रों के माध्यम से गोपनीय सूचनाओं के आधार पर भी प्रिवेंटिव पुलिसिंग की कार्रवाई की जाएगी।*

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन ने निर्देश दिये कि इन केन्द्रों को अत्यधिक संवेदनशीलता एवं दक्षता के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक शिकायत पर समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा पीड़िताओं को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही, इन केन्द्रों को जन-जागरूकता का केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्ययोजना:

➡इन केन्द्रों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय स्तर से की जाएगी।

➡सोशल मीडिया एवं स्थानीय मीडिया के माध्यम से जनसामान्य को इन सेवाओं की जानकारी दी जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया एवं मिशन शक्ति से संबंधित ईको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटी को हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया गया। जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा यह कदम महिला सुरक्षा के प्रति एक स्पष्ट एवं कार्योन्मुखी संकल्प है।

इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेंज कानपुर, जिलाधिकारी कानपुर देहात, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

———————